न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः– नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः–12/2020 आर्बीट्रेशन

जी.सी.एम.एस. नंबरः 2020/00099

नंगा पिता चम्पलाल ब्राह्मण निवासीः झाडोल(फ.) जिला–उदयपुर राज.

———— **प्रार्थी**

बनाम

1. सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिरी (उपखण्ड अधिकारी), झाडोल (फ.) उदयपुर
2. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड (गुलाबबाग), उदयपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5 व 6) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 तथा माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996

उपस्थितः– 1. श्री. इन्द्रविजय सिंह अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक–14/07/2025

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3–जी (5 व 6) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की उपधारा (1) के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58–ई उदयपुर–कुण्डाल–नयाखेडा–झाडोल–फलासिया–सोम–खोखरा–आम्बावेली–गुजरात सीमा तक कि.मी. 27/300 से 91/000 सड़क निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति के संदर्भ में दिनांक 08.04.2017 को भारत के राजपत्र द्वारा अधिसूचना प्रकाशन कर अनुसूची मे अर्जन की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त वर्णन किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 3 ग के तहत तत्कालीन भू अभिलेख अधिनियम उपखण्ड अधिकारी द्वारा आपत्तियों की सुनवाई की जाकर तदनुसार समाविश किया जाकर भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी के तहत प्राप्त आपत्तियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार तथा पटवारी हल्का झाडोल एवं तहसील झाडोल से प्राप्त प्रमाणित राजस्व अभिलेखों के आधार पर जो प्रतिकर की राशि प्रार्थी के हक में तय की गई उससे असंतुष्ट होकर प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में मुआवजे की राशि का पुर्ननिर्धारण हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी के स्वामित्व एंव खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमि जो कि ग्राम झाडोल पटवार हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र झाडोल, तहसील झाडोल जिला उदयपुर में स्थित है जिसके हाल आराजी संख्या 29 रकबा 0.5800 हैक्टेयर भूमि में से 0.2034 हैक्टेयर अर्थात 2034 वर्गमीटर विपक्षी द्वारा अवाप्त की गई है। उक्त भूमि उदयपुर–कुण्डाल–नयाखेडा–झाडोल–फलासिया–सोम–खोखरा–आम्बावेली गुजरात सीमा तक कि.मी. 27/300 से 91/000 सड़क बनाने हेतु अवाप्त की गई एवं भूमि का मुआवजा सक्षम अधिकारी भूमि अधिकारी

जिला कलक्टर
उदयपुर

(उपखण्ड अधिकारी झाडोल) द्वारा अवार्ड जारी किया गया है। प्रार्थी की उक्त भूमि गजट नोटिफिकेशन से पहले वर्ष 2010–11 से रबी फसल का उत्पादन स्वयं के साधनों से सिंचित कर पैदावार करता आ रहा है जिसका इन्द्राज पटवार हल्का झाडोल की खसरा गिरदावरी सवंत् 2071 से 2074 तक के रेकर्ड में है। प्रार्थी की उपरोक्त अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा कृषि भूमि किस्म असिंचित की श्रेणी में दिया जाकर भूमि की किस्म सिंचित की श्रेणी से दिया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक था लेकिन सक्षम मुआवजा अधिकारी ने प्रार्थी की दी गई आपत्तियों को दरकिनारे करते हुए नजर अंदाज करते हुए मनमाफिक तरीके से प्रश्नगत अवार्ड संख्या 33 दिनांक 19.12.2018 को पारित करवा दिया। उक्त आदेश के तहत क्रम संख्या 11 पर दर्ज खसरा संख्या 29 के अवाप्ति रकबा 0.2034 हैक्टेयर की खातेदार हेतु पारित मुआवजा राशि रुपये 16,75,804.54/– विधि व न्याय के विपरीत होकर प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उक्त भूमि का मुआवजा सिंचित की दर से दिये जाने हेतु निवेदन किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं प्रार्थी ने अपने मुआवजे के पक्ष में मौके की स्थिति के फोटोग्राफ भी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पेश किये गये थे लेकिन उक्त अधिकारी द्वारा वास्तविक फोटोग्राफ को नजरअंदाज करते हुए मुआवजा निर्धारित किया गया है। प्रार्थी की उपरोक्त सिंचित भूमि का मुआवजे का आकलन सही ढंग से करवाने एवं खसरा गिरदावरी आदि की नकल एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उसके बावजूद विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के विपरित जाकर सक्षम अधिकारी द्वारा जो असिंचित भूमि की दर से प्रार्थी को जो मुआवजा दिया गया है वह अपर्याप्त होकर किसी भी स्थिति में स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थी की अवाप्त भूमि पर करीब रुपये 2,75,000/– की लागत की पक्की बाउण्ड्रीवॉल थी जिसका मुआवजा भी निर्धारित नहीं किया गया है जिसके मौके के फोटोग्राफ्स प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। गजट नोटिफिकेशन अधिनियम 1956 की धारा 3(2) दिनांक 26.09.2017 के अंतर्गत अवाप्त भूमि सिंचित की डी.एल.सी. दर रुपये 3,36,743/– प्रति बीघा (1600 वर्गमीटर) अर्थात रुपये 21,04,463.75/– प्रति हैक्टेयर के हिसाब से निर्धारित थी जिसके हिसाब से प्रार्थी की अवाप्त की गई सिंचित भूमि 0.2034 हैक्टेयर का मुआवजा दिया जाना विधिक रूप से आवश्यक था एवं उसी अनुरूप अवाप्त भूमि का कारक के पश्चात् देय राशि का गुणांक तोषण निधि के अनुसार मुआवजा तय करके प्रार्थी को दिया जाना चाहिए था जो कि अधीनस्थ न्यायालय ने भारी चूक कर गलत तरीके से मुआवजा राशि का निर्धारण कर आदेश पारित किया गया है। उक्त संबंध में सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश जमाबंदी, खसरा गिरदावरी नकल संवत 2071 से 2074 तक निरंतर अवाप्त भूमि सिंचित होना प्रकट है। प्रार्थी ने अवाप्त की गई भूमि पर सिंचित करने हेतु अपने कुंए पर विद्युत कनेक्शन ले रखा है जिससे रबी की फसल का उत्पादन किया जा रहा है। सिंचित दर से मुआवजा गणना एवं ब्याज 12 प्रतिशत दिनांक 08.04.2017 से अवार्ड जारी दिनांक 19.12.2018 तक अर्थात 628 दिन की गणना व अन्य कारक व पोषण राशि सहित भुगतान करने की चूक की गई है। प्रमाणित राजस्व अभिलेख के आधार पर जो प्रतिकर की राशि प्रार्थी के हक में तय की गई है उससे असंतुष्ट होकर प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र आप

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय में मुआवजे की राशि का पुनः निर्धारण करने हेतु प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी ने भूमि अवाप्ति अधिकारी को समय-समय पर प्रत्यक्ष उपस्थित हो एवं लिखित रूप से मुआवजे के संबंध में एतराज प्रस्तुत कर दिये थे लेकिन विपक्षी ने सभी एतराजो को दरकिनार करते हुए मुआवजा राशि निर्धारित की गई जो स्वीकार करने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् प्रार्थी को विपक्षीगणों से अवाप्तशुदा भूमि का मूल्यांकन सिंचित दर से गणना करते हुए एवं मूल मुआवजा राशि पर दिनांक 08.04.2018 से 19.12.2018 की अवधि तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज तथा अवाप्त भूमि से हटाई गई बाउण्ड्रीवॉल की राशि का मूल्यांकन कर मुआवजे राशि का पुनः निर्धारण करने बाबत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए प्रार्थी को विपक्षीगणों से पूर्व में अदा की गई राशि 16,75,804.52 / – के अतिरिक्त 6,83,630 / – रुपये दिलाये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विक्षणीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली की प्रमाणित प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की गई। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व एंव खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमि जो कि ग्राम झाडोल पटवार हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र झाडोल, तहसील झाडोल जिला उदयपुर में स्थित है जिसके हाल आराजी संख्या 29 रकबा 0.5800 हैक्टेयर भूमि में से 0.2034 हैक्टेयर अर्थात 2034 वर्गमीटर विपक्षी द्वारा अवाप्त की गई है। उक्त भूमि उदयपुर-कुण्डाल-नयाखेडा-झाडोल-फलासिया- सोम-खोखरा-आम्बावेली गुजरात सीमा तक कि.मी. 27 / 300 से 91 / 000 सड़क बनाने हेतु अवाप्त की गई एवं भूमि का मुआवजा सक्षम अधिकारी भूमि अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी झाडोल) द्वारा अवार्ड जारी किया गया है। प्रार्थी की उक्त भूमि गजट नोटिफिकेशन से पहले वर्ष 2010-11 से रबी फसल का उत्पादन स्वयं के साधनों से सिंचित कर पैदांवार करता आ रहा है जिसका इन्द्राज पटवारं हल्का झाडोल की खसरा गिरदावरी सवंत् 2071 से 2074 तक के रेकर्ड में है। प्रार्थी की उपरोक्त अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा कृषि भूमि किस्म असिंचित की श्रेणी में दिया जाकर भूमि की किस्म सिंचित की श्रेणी से दिया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक था लेकिन सक्षम मुआवजा अधिकारी ने प्रार्थी की दी गई आपत्तियों को दरकिनारे करते हुए नजर अंदाज करते हुए मनमाफिक तरीके से प्रश्नगत अवार्ड संख्या 33 दिनांक 19.12.2018 को पारित करवा दिया। उक्त आदेश के तहत क्रम संख्या 11 पर दर्ज खसरा संख्या 29 के अवाप्ति रकबा 0.2034 हैक्टेयर की खातेदार हेतु पारित मुआवजा राशि रुपये 16,75,804.54 / – विधि व न्याय के विपरीत होकर प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उक्त भूमि का मुआवजा सिंचित की दर से दिये जाने हेतु निवेदन किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं प्रार्थी ने अपने मुआवजे के पक्ष में मौके की स्थिति के फोटोग्राफ भी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पेश किये गये थे लेकिन उक्त अधिकारी द्वारा वास्तविक फोटोग्राफ को नजरअंदाज करते हुए मुआवजा निर्धारित किया गया है। प्रार्थी की उपरोक्त सिंचित भूमि का मुआवजे का आकलन सही ढंग से करवाने एवं खसरा गिरदावरी आदि की नकल एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जिला कले.
उदयपुर

किया उसके बावजूद विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के विपरित जाकर सक्षम अधिकारी द्वारा जो असिंचित भूमि की दर से प्रार्थी को जो मुआवजा दिया गया है वह अपर्याप्त होकर किसी भी स्थिति में स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थी की अवाप्त भूमि पर करीब रुपये 2,75,000/– की लागत की पक्की बाउण्ड्रीवॉल थी जिसका मुआवजा भी निर्धारित नहीं किया गया है जिसके मौके के फोटोग्राफ्स प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। गजट नोटिफिकेशन अधिनियम 1956 की धारा 3(2) दिनांक 26.09.2017 के अंतर्गत अवाप्त भूमि सिंचित की डी.एल.सी. दर रुपये 3,36,743/– प्रति बीघा (1600 वर्गमीटर) अर्थात रुपये 21,04,463.75/– प्रति हैक्टेयर के हिसाब से निर्धारित थी जिसके हिसाब से प्रार्थी की अवाप्त की गई सिंचित भूमि 0.2034 हैक्टेयर का मुआवजा दिया जाना विधिक रूप से आवश्यक था एवं उसी अनुरूप अवाप्त भूमि का कारक के पश्चात् देय राशि का गुणांक तोषण निधि के अनुसार मुआवजा तय करके प्रार्थी को दिया जाना चाहिए था जो कि अधीनस्थ न्यायालय ने भारी चूक कर गलत तरीके से मुआवजा राशि का निर्धारण कर आदेश पारित किया गया है। उक्त संबंध में सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश जमाबंदी, खसरा गिरदावरी नकल संवत 2071 से 2074 तक निरंतर अवाप्त भूमि सिंचित होना प्रकट है। प्रार्थी ने अवाप्त की गई भूमि पर सिंचित करने हेतु अपने कुंए पर विद्युत कनेक्शन ले रखा है जिससे रबी की फसल का उत्पादन किया जा रहा है। सिंचित दर से मुआवजा गणना एवं ब्याज 12 प्रतिशत दिनांक 08.04.2017 से अवार्ड जारी दिनांक 19.12.2018 तक अर्थात 628 दिन की गणना व अन्य काकर व पोषण राशि सहित भुगतान करने की चूक की गई है। प्रमाणित राजस्व अभिलेख के आधार पर जो प्रतिकर की राशि प्रार्थी के हंक में तय की गई है उससे असंतुष्ट होकर प्रार्थी यह प्राथना पत्र आप न्यायालय में मुआवजे की राशि का पुनः निर्धारण करने हेतु प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी ने भूमि अवाप्ति अधिकारी को समय–समय पर प्रत्यक्ष उपस्थित हो एवं लिखित रूप से मुआवजे के संबंध में एतराज प्रस्तुत कर दिये थे लेकिन विपक्षी ने सभी एतराजो को दरकिनार करते हुए मुआवजा राशि निर्धारित की गई जो स्वीकार करने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् प्रार्थी को विपक्षीगणों से अवाप्तशुदा भूमि का मूल्यांकन सिंचित दर से गणना करते हुए एवं मूल मुआवजा राशि पर दिनांक 08.04.2018 से 19.12.2018 की अवधि तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज तथा अवाप्त भूमि से हटाई गई बाउण्ड्रीवॉल की राशि का मूल्यांकन कर मुआवजे राशि का पुनः निर्धारण करने बाबत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए प्रार्थी को विपक्षीगणों से पूर्व में अदा की गई राशि 16,75,804.52/– के अतिरिक्त 6,83,630/– रुपये दिलाये जावे।

विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की उपधारा (1) के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 ई हेतु अवाप्ति के संदर्भ में दिनांक 08.04.2017 को भारत का राजपत्र (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) द्वारा अधिसूचना प्रकाशन कर अनुसूचित में अर्जन की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। प्रार्थी के स्वामित्व एवं खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमि जो कि ग्राम झाडोल पटवार हल्का झाडोल एवं भू अभिलेख निरीक्षक हल्का झाडोल तहसील झाडोल जिला उदयपुर में स्थित है जिसमें हाल आराजी संख्या 29 रकबा 0.5800 हैक्टेयर भूमि में से 0.2034 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गई। उक्त भूमि राष्ट्रीय

जिला कलक्टर
उदयपुर

राजमार्ग 58ई सड़क बनाने हेतु अवाप्त की गई तथा अवार्ड जारी किया गया। तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी झाडोल द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी पर दर्ज भूमि किस्म अनुसार अवार्ड तैयार कराया जाकर जारी किया गया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी झाडोल का आदेश क्रमांक 33 दिनांक 19.12.2018 के तहत क्रम संख्या 11 पर दर्ज आराजी 29 के अवाप्ति रकबा 0.2034 हैक्टेयर की भूमि किस्म बीड ए.सा.प्रथम असिंचित दर्ज हो पारित मुआवजा राशि 16,75,804.54/– दर्ज है।

विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग में तहसील झाडोल में अवाप्तिधीन भूमि मुआवजा निर्धारण 3जी उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसील झाडोल रिकार्ड अनुसार निर्धारित कर भुगतान किया जा रहा है। शेष राशि का पुर्ननिर्धारण न्यायालय से संबंधित है। उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रार्थी के खाते की भूमि ग्राम झाडोल खसरा संख्या 29 रकबा 0.2034 हैक्टेयर किस्म बीड–ए.सा. प्रथम अवाप्ताधीन है। मुआवजा निर्धारण उपलब्ध राजस्व रिकार्ड में दर्ज किस्म एवं तहसील झाडोल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ही किया गया है। वक्त निर्धारण मूल्यांकन संरचना दिवार पक्की बनी हुई नहीं थी तथा राजस्व रेकार्ड में असिंचित दर्ज है तदनुसार किस्म भूमि से मुआवजा निर्धारण किया गया जो नियमानुसार उचित है।

उपस्थित अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड से स्पष्ट है कि उदयपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 ई (राजस्थान/गुजरात राज्य सीमा) के लिये राजस्व ग्राम झाडोल की आराजी संख्या 29 का 3ए प्रकाशन दिनांक 22.12.2016 को हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी(7)(ए) मे निम्न प्रावधान अनुसार – "The Market value of the land on the date of publication of the notification under section 3A" के अनुसार मुआवजा राशि देय है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (सी) 1 "Any Person interested in the land may within 21 days from the date of publication of the notification under sub section 1 of the section 3(A), object to the use of the land for the purpose or puropses mention in that sub section."

"2. Every objection under sub section 1 shall be made to the competent outhority in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitoner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessory, by order, either allow or disallow the objections.

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड से स्पष्ट है कि उदयपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 ई (राजस्थान/गुजरात राज्य सीमा) के लिये राजस्व ग्राम झाडोल की

जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 12/20 आर्बीट्रेशन
नंगा बनाम परियोजना निदेशक
जी.सी.एम.एस. नंबरः 2020/00099

आराजी संख्या 29 का 3(A) प्रकाशन दिनांक 22.12.2016 को हुआ। उक्त प्रकाशन में राजस्व ग्राम झाडोल की आराजी संख्या 29 की किस्म बीड, ए.सा. प्रथम अंकित है तत्पश्चात उक्त आराजी का 3(D) प्रकाशन 26.09.2017 नंगा पिता चंपालाल ब्राहमण के नाम होकर किस्म बीड, ए.सा. प्रथम से हुआ है इसी आधार पर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी झाडोल द्वारा 3(G) प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2071–74 अनुसार भी उक्त भूमि की किस्म बीड, ए.सा. प्रथम ही है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति के समक्ष उपस्थित होकर उक्त भूमि का मुआवजा सिंचित की दर से किये जाने हेतु निवेदन किया गया परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में 3(A) एवं 3(D) प्रकाशन पर कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई हो ऐसा भी कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबन्दी में अंकित किस्म अनुसार उक्त भूमि का मुआवजा निर्धारित करते हुए अवार्ड जारी किया गया है जो नियमानुसार है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अवार्ड विधिसम्मत होने से पारित अवार्ड में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति दोनों पक्षकारो को नियमानुसार प्रदान की जावें एवं अवाप्त अधिकारी की पत्रावली भूमि अवाप्ति अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, झाडोल उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर